

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

लाजुराम बनाम मुन्नालाल

मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 10/2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

07/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सलैरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती लाजुराम

पिता श्री मुन्नालाल होली

निवासी- धरियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

धरियावली स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 3460/2454

3461/2712 3462/2713

2022  
14

कुल कीता 3 कुल रकबा 0.745 है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम धरियावली स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 3460/2454, 3461/2712, 3462/2713

कुल कीता 3 रकबा 0.745 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500000 रुपये अक्षरे पांच लक्ष रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(हजाम मुन्दर विष्णोई)  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्र.सं./सरिश्ता/प्रा.पत्र 10/2022/11

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार  
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : लालुराम पिता पन्नालाल डोली निवासी धरियावली

- वनाम — प्रणी
- 1- ~~लालुराम~~ मुन्नालाल पिता रामलाल डोली 120 धरियावली
  - 2- छोड़लाल पिता गंगा धाकड़ 120 धरियावली रवेडा
  - 3- शतलाल पिता गंगा धाकड़ 120 धरियावली रवेडा
  - 4- श्रीलाल पिता चम्पाधकड़ 120 धरियावली रवेडा
  - 5- भवरेलाल पिता चम्पालाल धाकड़ 120 धरियावली

— विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम धरियावली खतौनी सं. 620  
सम्बत् 2067 - 2070 में अकित आराजी नम्बर 3460/3454, 3461/2712  
3462/2713 कुल कित 3 रकबा 0.7450 है. भूमि की  
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना  
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर  
शुल्क रुपये 5000.00 अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र प्रार्थी  
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

पञ्जम सुन्दर विनोद  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)